सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग
नईदिल्ली 110001

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
10 JAN 2024
Dairy No. 173
Signature

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर में आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है। विदित रहे कि अपने आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उक्त आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित OA संख्या–430/2023 राजेन्द्र सिहं बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 12–10–2023 के सम्बंध में मेरा पक्ष रखने हेतु आप द्वारा आदेश दिया गया है, महोदया आप द्वारा दिये गये आदेश के पालन में अवगत कराना है कि मेरे नाम से स्थापित ईट भट्ठा आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर का संचालन विगत 2 वर्षो से मेरे द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है, भट्ठा बंदी सूचना विभाग को दी गयी है। भटठा बंदी सूचना पश्चात से उक्त भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। श्री राजेन्द्र सिहं द्वारा मनगढन्त तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के मेरे भट्ठे की शिकायत माननीय न्यायालय में की गयी है।

OA 430/2023
Pl. put up

विदित रहे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **Ref. N0-H63465/C-5/**सा.–546/21/ईट–भट्ठा/बंदी–आदेश /सुलतानपुर / 2021 दि0–15–07–2021 को एक पत्र प्रार्थिनी के उक्त ईटठे के सम्बंध में दिया गया है उक्त पत्र प्राप्ति पश्चात से प्रार्थिनी द्वारा अपने उक्त ईट भट्ठा का संचालन बंद कर दिया गया तथा विभाग को सूचना दी गयी है।

अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना हैं कि संलग्न साक्ष्यों एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर प्रार्थिनी के उपरोक्त भट्ठे पर लगाये गये आरोप निराधार मानते हुये दोष मुक्त करने की कृपा की जाय।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

प्रार्थिनी–

कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय
जिला सुलतानपुर
दिनॉक–03–.1–2024
मो0 नं0–8808618745

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63465/सी–5/सा0–546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021 Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Adarsh Ent Uddyog,
Rasoolpur, Sadar, Sultanpur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... *21. Restrictions on use of certain industrial plants.—*
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला सुलतानपुर

विषय-- प्रार्थनापत्र बाबत **Ref. N0- H63465/C-5/**सा-546/21/ईट भट्ठा/बंदी आदेश/सुलतानपुर/2021 दि0-15-07-2021 मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर भट्ठा बंदी सूचना के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील-वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है प्रार्थिनी के उक्त भट्ठा के सम्बंध में उपरोक्त पत्र प्रार्थिनी को प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन में उक्त भट्ठा पर ईट निर्माण पथाई, फुकाई, कार्य बद कर दिया गया है। प्रार्थिनी अपने उक्त फर्म की भट्ठा बंदी सूचना श्रीमान्जी को दे रही है।

अतः श्रीमानजी से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त पत्र के अनुपालन में भट्ठा बंदी सूचना स्वीकार किये जाने की कृपा की जाय।

प्रार्थिनी-
कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील-वल्दीराय
जिला सुलतानपुर
मो0 नं0-8808618745

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी0 ब्लाक–इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली।

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत Ref. NO- H63465/C-5/सा–546/21/ईट भट्ठा/बंदी आदेश /सुलतानपुर/2021 दि0–15–07–2021 मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर भट्ठा बंदी सूचना के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है प्रार्थिनी के उक्त भट्ठा के सम्बंध में उपरोक्त पत्र प्रार्थिनी को प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन में उक्त भट्ठा पर ईट निर्माण पथाई, फुकाई, कार्य बद कर दिया गया है। प्रार्थिनी अपने उक्त फर्म की भट्ठा बंदी सूचना श्रीमान्जी को दे रही है।

अतः श्रीमानजी से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त पत्र के अनुपालन में भट्ठा बंदी सूचना स्वीकार किये जाने की कृपा की जाय।

प्रार्थिनी– कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील–वल्दीराय
जिला सुलतानपुर
मो0 नं0–8808618745

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

पत्र संख्या- 652/N.G.T. 430/2023/2023-24 दिनांक- 16 दिसम्बर,2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक—12.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. मैं0महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड, (प्रो0 श्रीमती सुन्दरकली) ग्राम—दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो0—वल्लीपुर, थाना व तह0—बल्दीराय, जनपद—सुल्तानपुर।
2. मे0 मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, (पार्ट0 श्री शिवम जायसवाल) ग्राम—रामनगर, सरैया माफी, थाना—धनपतगंज, तह0—बल्दीराय, जनपद—सुल्तानपुर।
3. मैसर्स आदर्श ब्रिक फील्ड, (प्रो0 श्रीमती कौशिल्या देवी) ग्राम—रसूलपुर, पो0—वल्लीपुर, थाना व तह0—बल्दीराय, जनपद—सुल्तानपुर।

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरुद्ध सक्षम विभागों से अनुमति प्राप्त किए बिना एवं नियम विरुद्ध संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक—12.10.2023 में पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं—

"................. 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024......."

उक्त के कम में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक—12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में पारित आदेश एवं प्रेषित आवेदन की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई—मेल— judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक—यथोपरि।

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर

Item No. 09

Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 430/2023

Rajendra Singh Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent

Date of hearing: 12.10.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a letter petition received by E-mail

ORDER

1. In compliance of order dated 01.08.2023 report of the Joint Committee has been filed vide email dated 10.10.2023.

2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur,

letter for जाँच / आवश्यक to RO pollution / mining officer / SDM (B) / ALC
08/03/2023

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

जनपद– सुलतानपुर।

प्रार्थनापत्र वास्ते किये जाने वैधानिक कार्यवाही अवैध रूप से चल रहे ईट भट्ठे के सम्बंध में ।

जिलाधिकारी सुलतानपुर

महोदय,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सुलतानपुर के पत्रांक संख्या–06 / खनन / सहायक / 2021 आदेश दिनांक 02दिसम्बर 2022 के अनुकम में सादर अवगत कराना है कि श्रीमानजी के तहसील परिक्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्ठो से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में 1– महालक्ष्मी ईट उद्योग लहुरेपुर वल्लीपुर 2– शिवम् बिकफील्ड रामनगर 3–ए0बी0एफ0 ईट भट्ठा रसूलपुर में चलाये जा रहे जिनका न तो प्रदूषण बोर्ड बोर्ड न ही खनन विभाग तथा जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराये ही बिना शासन की अनुमति से भट्ठा मालिको द्वारा संचालन किया जा रहा है। तथा क्षेत्र की गरीब जनता से मनमाने तौर पर डरा धमका कर अवैध खनन करके ईट भट्ठा चलाया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण व राजस्व विभाग व सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स भी अदा नहीं किया जा रहा है जिससे सरकार की राजकोषीय क्षति हो रही है तथा क्षेत्र में फलदार वृक्षो का भी क्षरण हो रहा है। उक्त भट्ठा मालिक लोग काफी सरंहग है तथा सरंहगी के बल पर अवैध रूप से ईट भट्ठा चला रहे है जिसकी जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही कराया जाना आवश्क है। प्रार्थी ने इसके पूर्व कई प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई ।

8001/2023/004021

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वल्दीराय तहसील परिक्षेत्र में अवैध रूप से संचालित भट्ठे की जांच करके वैधानिक कार्यवाही करे।

संग्नकः–

समस्त कागजात।

प्रार्थी

राजेन्द्र सिंह सुत स्व0 रघुराज सिंह

ग्राम बिसांवा, तहसील वल्दीराय

जिला सुलतानपुर।

मो0 8354909133 / 8948747405

दिनांक 09–03–2023

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

O.A. NO. 430/ 2023

Rajendra Singh Vs State of Uttar Pradesh

To

1. **State of Uttar Pradesh**
   Through Chief Secretary,
   Government of Uttar Pradesh
   Email: csup@nic.in (Respondent No. 1)

2. **District Magistrate, Sultanpur**
   Collectorate Campus, Sultanpur
   Email: dmsul@nic.in (Respondent No. 2)

3. **UPPCB**
   Building No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow - 226010
   Email: ms@uppcb.in (Respondent No. 3)

4. **M/s Maha Laxmi Ent Bhat,**
   proprietor (Smt Sunder Kali)
   Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur,
   Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, UP- 228001
   (Respondent No. 4)

5. **M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa),**
   Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj,
   Tehsil Baldirai, District Sultanpur, UP- 228001 (Respondent No. 5)

6. **M/s Adarsh Ent Udhyog**
   proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur,
   Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, UP- 228001
   (Respondent No. 6)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 12.10.2023 (copy of order, petition and report is enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only) :-

> **"2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.**
>
> **3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.**

सेवा में,

श्रीमान खनन निरीक्षक महोदय
जिला सुलतानपुर

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर में आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है। विदित रहे कि अपने आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उक्त आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित OA संख्या–430/2023 राजेन्द्र सिहं बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 12–10–2023 के सम्बंध में मेरा पक्ष रखने हेतु आप द्वारा आदेश दिया गया है, महोदया आप द्वारा दिये गये आदेश के पालन में अवगत कराना है कि मेरे नाम से स्थापित ईट भट्ठा आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर का संचालन विगत 2 वर्षो से मेरे द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है, भट्ठा बंदी सूचना विभाग को दी गयी है। भटठा बंदी सूचना पश्चात से उक्त भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। श्री राजेन्द्र सिहं द्वारा मनगढन्त तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के मेरे भट्ठे की शिकायत माननीय न्यायालय में की गयी है।

विदित रहे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **Ref. NO-H63465/C-5/**सा–546/21/ईट–भट्ठा/बंदी–आदेश /सुलतानपुर / 2021 दि0–15–07–2021 को एक पत्र प्रार्थिनी के उक्त ईटठे के सम्बंध में दिया गया है उक्त पत्र प्राप्ति पश्चात से प्रार्थिनी द्वारा अपने उक्त ईट भट्ठा का संचालन बंद कर दिया गया तथा विभाग को सूचना दी गयी है।

अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना हैं कि संलग्न साक्ष्यों एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर प्रार्थिनी के उपरोक्त भट्ठे पर लगाये गये आरोप निराधार मानते हुये दोष मुक्त करने की कृपा की जाय।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

प्रार्थिनी–

कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल

निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व

तहसील–वल्दीराय

जिला सुलतानपुर

दिनाँक–03–.1–2024

मो0 नं0–8808618745

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला सुलतानपुर

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर में आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है। विदित रहे कि अपने आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उक्त आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित OA संख्या–430/2023 राजेन्द्र सिहं बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 12–10–2023 के सम्बंध में मेरा पक्ष रखने हेतु आप द्वारा आदेश दिया गया है, महोदया आप द्वारा दिये गये आदेश के पालन में अवगत कराना है कि मेरे नाम से स्थापित ईट भट्ठा आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर का संचालन विगत 2 वर्षो से मेरे द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है, भट्ठा बंदी सूचना विभाग को दी गयी है। भटठा बंदी सूचना पश्चात से उक्त भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। श्री राजेन्द्र सिहं द्वारा मनगढन्त तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के मेरे भट्ठे की शिकायत माननीय न्यायालय में की गयी है।

विदित रहे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **Ref. N0-H63465/C-5/**सा.–546/21/ईट–भट्ठा/बंदी–आदेश /सुलतानपुर / 2021 दि0–15–07–2021 को एक पत्र प्रार्थिनी के उक्त ईटठे के सम्बंध में दिया गया है उक्त पत्र प्राप्ति पश्चात से प्रार्थिनी द्वारा अपने उक्त ईट भट्ठा का संचालन बंद कर दिया गया तथा विभाग को सूचना दी गयी है।

अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना हैं कि संलग्न साक्ष्यों एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर प्रार्थिनी के उपरोक्त भट्ठे पर लगाये गये आरोप निराधार मानते हुये दोष मुक्त करने की कृपा की जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

प्रार्थिनी–

कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील–वल्दीराय
जिला सुलतानपुर
दिनॉक–03–.1–2024
मो0 नं0–8808618745

सेवा में,

श्रीमान खनन निरीक्षक महोदय
जिला सुलतानपुर

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर में आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है। विदित रहे कि अपने आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उक्त आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित OA संख्या–430/2023 राजेन्द्र सिहं बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 12–10–2023 के सम्बंध में मेरा पक्ष रखने हेतु आप द्वारा आदेश दिया गया है, महोदया आप द्वारा दिये गये आदेश के पालन में अवगत कराना है कि मेरे नाम से स्थापित ईट भट्ठा आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर का संचालन विगत 2 वर्षो से मेरे द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है, भट्ठा बंदी सूचना विभाग को दी गयी है। भटठा बंदी सूचना पश्चात से उक्त भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। श्री राजेन्द्र सिहं द्वारा मनगढन्त तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के मेरे भट्ठे की शिकायत माननीय न्यायालय में की गयी है।

विदित रहे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **Ref. N0-H63465/C-5/**सा.–546/21/ईट–भट्ठा/बंदी–आदेश /सुलतानपुर / 2021 दि0–15–07–2021 को एक पत्र प्रार्थिनी के उक्त ईटठे के सम्बंध में दिया गया है उक्त पत्र प्राप्ति पश्चात से प्रार्थिनी द्वारा अपने उक्त ईट भट्ठा का संचालन बंद कर दिया गया तथा विभाग को सूचना दी गयी है।

अतः श्रीमान्‌जी से प्रार्थना हैं कि संलग्न साक्ष्यों एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर प्रार्थिनी के उपरोक्त भट्ठे पर लगाये गये आरोप निराधार मानते हुये दोष मुक्त करने की कृपा की जाय।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

प्रार्थिनी– कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील–वल्दीराय
जिला सुलतानपुर
दिनॉक–03–.1–2024
मो0 नं0–8808618745

सेवा में,

श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बल्दीराय
जिला सुलतानपुर

विषय– प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर में आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील–वल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर है। विदित रहे कि अपने आदेश संख्या 652/NGT 430/2023/2023–24 दिनॉक–16–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उक्त आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित OA संख्या–430/2023 राजेन्द्र सिहं बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 12–10–2023 के सम्बंध में मेरा पक्ष रखने हेतु आप द्वारा आदेश दिया गया है, महोदया आप द्वारा दिये गये आदेश के पालन में अवगत कराना है कि मेरे नाम से स्थापित ईट भट्ठा आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर का संचालन विगत 2 वर्षो से मेरे द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है, भट्ठा बंदी सूचना विभाग को दी गयी है। भटठा बंदी सूचना पश्चात से उक्त भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। श्री राजेन्द्र सिहं द्वारा मनगढन्त तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के मेरे भट्ठे की शिकायत माननीय न्यायालय में की गयी है।

विदित रहे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Ref. NO-H63465/C-5/सा.–546/21/ईट–भट्ठा/बंदी–आदेश /सुलतानपुर / 2021 दि0–15–07–2021 को एक पत्र प्रार्थिनी के उक्त ईटठे के सम्बंध में दिया गया है उक्त पत्र प्राप्ति पश्चात से प्रार्थिनी द्वारा अपने उक्त ईट भट्ठा का संचालन बंद कर दिया गया तथा विभाग को सूचना दी गयी है।

अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना हैं कि संलग्न साक्ष्यों एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर प्रार्थिनी के उपरोक्त भट्ठे पर लगाये गये आरोप निराधार मानते हुये दोष मुक्त करने की कृपा की जाय।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

प्रार्थिनी–

कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल

निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व

तहसील–वल्दीराय

जिला सुलतानपुर

दिनॉक–03–.1–2024

मो0 नं0–8808618745